1018 स्थानों से हटाए गए अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज सहित नेशनल हाईवे तथा सड़कों के किनारे से अवैध होर्डिंग/पोस्टर का किया जा रहा है सफाया

भिलाई नगर/ आज भिलाई निगम ने अवैध होर्डिंग एवं पोस्टरों को 1018 स्थानों से हटाने की कार्रवाई की। इसके लिए सभी जोन के राजस्व विभाग की टीम मैदान पर है। आज की बात करें तो 1018 से अधिक अवैध होर्डिंग/पोस्टर हटाए जा चुके हैं, इसके साथ ही 18 नग लोहे का अवैध पोल भी जब्त किया गया है। नेशनल हाईवे, प्रमुख सड़कों, ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज से अवैध होर्डिंग पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। और भी अन्य सड़कों को टारगेट करते हुए अवैध होर्डिंग/पोस्टर हटाए जाएंगे। निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सभी नेहरू नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। शहर में कई सारे अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर बिना अनुमति के लगे हुए थे, इन्हें हटाया गया तथा कई प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे इन्हें भी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से हटाया जा रहा है। निगम की टीम प्रतिदिन अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर को हटाने की कार्रवाई कर रही है, अब बेतरतीब होर्डिंग/पोस्टर के हटने से शहर की सुंदर दिखने लगा है, वहीं राहगीरों के लिए भी रास्ता सुगम हो रहा है। संपत्ति विरूपण के मामले में अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर लगाने वालों को थमाया जा रहा है नोटिस भिलाई शहर में अवैध होर्डिंग/पोस्टर लगाने वालों को संपत्ति विरूपण के मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है उन्हें अपने स्वयं से होर्डिंग/पोस्टर को हटाने की चेतावनी दी जा रही है। गौरतलब है कि अवैध होर्डिंग/पोस्टर लगाने वालों को स्वयं से हटाने नोटिस जारी किया जा रहा है और फिर भी नहीं हटाने वालों पर निगम कार्रवाई कर रही है तथा अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर को हटाने के साथ ही इसकी जब्ती भी बनाई जा रही है। आज की कार्यवाही में सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, साहू, अनिल मेश्राम, तिवारी, सोरी आदि मौजूद रहे।